



प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 05.10.2026

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान तथा 1200/- रुपये बरामद ।

दिनांक 04.10.2026 को वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि वादी के मेडिकल स्टोर से अज्ञात चोर द्वारा दुकान का कुछ सामान व रुपये चोरी कर ले जाना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा 305(ए) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । घटना के सफल अनावरण तथा चोरी के सामान की बरामदगी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

तत्पश्चात थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये दिनांक 04.10.2026 को ही अभियुक्त आकाश उर्फ राजन पुत्र भूदेव निवासी अमर कॉलोनी थाना लोनी बॉर्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी के 1200/- रुपये व मेडिकल स्टोर से चोरी का सामान बरामद हुआ । बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने अपने साथी शहजाद पुत्र महफूज के साथ मिलकर मेडिकल स्टोर से रुपये व कुछ सामान चोरी कर लिया था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आकाश उर्फ राजन पुत्र भूदेव निवासी अमर कॉलोनी थाना लोनी बॉर्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष

बरामदगी का विवरण -

कब्जे से 01 डिब्बा PENUT BUTTER, DAIRY MILK, KIT KAT व FIVE STAR चॉकलेट के 77 पीस, पंतजलि घी 500 ग्राम 01 डिब्बा, ABHAYRAB INJECTION 01 पीस, MONOCEF SB 1.5 GM 03 पीस, PLACENTREX INJECTION 05 पीस, C ONE 1000MG INJECTION 15 पीस, MIKACIN 500 MG INJECTION 05 पीस, व 1200 रुपये बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम ।

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 150 पीस लोहा-सिल्वर (एल्युमिनियम) की रॉड बरामद ।

दिनांक 03.10.2026 को थाना मोदीनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि मोदी टेलीफाइबर लिमिटेड, मोदीनगर गाजियाबाद (मोदी थ्रेड डिविजन) से सिल्वर स्पेन्डल रॉड जिनके ऊपर लोहे की कैप लगे हुए 150 पीस, अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल सुसंगत धारा- 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 04.10.2026 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तगण 1. सागर तोमर पुत्र रामवीर सिंह निवासी जगतपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद व 2. भानु उपाध्याय पुत्र अनिल उपाध्याय निवासी देवेंद्रपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद को थाना मोदीनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी के 150 पीस लोहा-सिल्वर (एल्युमिनियम) की रॉड बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा-317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि यह चोरी की रॉड (150 पीस) हम दोनों ने मौका पाकर एक रात पहले महेन्द्रपुरी में मोदी कपड़ा मिल से चोरी कर ली थीं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. सागर तोमर पुत्र रामवीर सिंह निवासी जगतपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र 30 वर्ष।
2. भानु उपाध्याय पुत्र अनिल उपाध्याय निवासी देवेंद्रपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र 27 वर्ष।

बरामदगी का विवरण -

कब्जे से चोरी की 150 पीस लोहा-सिल्वर (एल्युमिनियम) की रॉड बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर उपरोक्त चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा फ्लैट /दुकान बुकिंग के नाम पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के मुकदमें में वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक:-16.07.2026 वादीगण की तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 428/26 में पंजीकृत धोखाधड़ी के प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही करते हुए वांछित अभियुक्त सारिका शर्मा पत्नि अवनीत शर्मा उम्र करीब 44 वर्ष, निवासी फ्लैट न0- 507, सन सिक्स मिक्सन रुफ सोसाईटी राजनगर एक्शटेन्शन, थाना नन्दग्राम, गा0बाद, एवं हाल पता – फ्लैट न0 G-1102, ब्रेव हार्ट्स सोसाईटी राजनगर एक्शटेन्शन, थाना नन्दग्राम, गा0बाद मो0 -8860899638 को गिरफ्तार किया गया। उक्त प्रकरण में 10 अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

उक्त मुकदमा M/s ASR Realtech Limited एवं M/s Right Earth Infra LLP की परियोजनाओं में फ्लैट/दुकान बुकिंग के नाम पर निवेशकों से करोड़ों रुपये लेकर धोखाधड़ी करने के

आरोप में पंजीकृत है। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों, बैंक खातों एवं अन्य दस्तावेजों के परीक्षण में यह तथ्य प्रकाश में आया कि निवेशकों से प्राप्त धनराशि गिरफ्तार अभियुक्ता के बैंक खातों में भी प्राप्त हुआ है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इसकी संलिप्तता पाए जाने पर अभियुक्ता सारिका शर्मा उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्ता से पूछताछ करने पर सारिका शर्मा उपरोक्त ने बताया कि मैंने तथा मेरे सहयोगी / मालिक संदीप कुमार गुप्ता , प्रवीन गुप्ता तथा दीपक शर्मा उर्फ नितिन शर्मा आदि कई लोगो के साथ मिलकर, ASR REALTECH नाम से मूल्यवान प्रतिभूति के प्रपत्रों में कूटरचना कर प्रस्तुत कर फर्जी बैंक खातों में रुपया लेकर धोखाधड़ी करने तथा उक्त धोखाधड़ी व कूटरचना के आपराधिक षडयन्त्र में मैं भी सम्मिलित रही हूँ, मैंने भी फर्जी प्रोजेक्ट के लिए आम लोगों को दुकान व फ्लैट अच्छे दामों पर दिलाने के नाम पर उनको लुभावने और भविष्य में अच्छे मुनाफे के वायदे कर उनसे बुकिंग के नाम पर भारी धनराशि देने के लिए राजी किया था, तथा नितिन शर्मा उर्फ दीपक शर्मा आदि के साथ मिलकर योजना के तहत लोगो से फर्जी व कूटरचित दस्तावेजो का और नाम का सहारा लेकर बहुत लोगो से धोखाधड़ी की है इसी कारण से पीडित लोगो के द्वारा ये कई मुकदमे लिखाये जाने से नितिन शर्मा उर्फ दीपक शर्मा आदि कुछ तो फरार हो गये, तथा हमारे कुछ साथी पकड़े गये जो जेल में हैं, इस धोखाधड़ी के लाखों, करोडो रुपये में से लाखों रुपये मेरे बैंक खातों --- कैनरा बैंक खाता व मेरे पति अवनीत शर्मा के बैंक खाते में भी आये व गये हैं, यह लाखों रुपया हमारे बैंक खातों में ASR REALTECH तथा सैन्ट्रल एवेन्यू के अलग अलग नामों व मोबाईल नम्बरों से खुलवाये गये खाते तथा हमारे सहयोगी संदीप कुमार व नितिन शर्मा उर्फ दीपक शर्मा आदि के बैंक खातों से आया था , तथा इसी धोखाधड़ी के लाखों रुपये मैंने नकद रुप से भी अपने सहयोगी नितिन शर्मा उर्फ दीपक शर्मा, संदीप कुमार गुप्ता तथा प्रवीन कुमार गुप्ता आदि से भी लिये हुए हैं, इन्ही धोखाधड़ी के रुपयो मे से नकद लिए हुए रुपये तो मुझसे खर्च हो गए व अपने बैंक खातो में धोखाधड़ी के डलवाये हुए रुपयो मे से शेष बचे रुपये हमारे इन दोनो बैंक खातों में मौजूद है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.सारिका शर्मा पत्नि अवनीत शर्मा उम्र करीब 44 वर्ष, निवासी फ्लैट न0- 507, सन सिक्स मिक्सन रुफ सोसाईटी राजनगर एक्शटेन्शन , थाना नन्दग्राम ,गा0बाद, एवं हाल पता – फ्लैट न0 G-1102, ब्रेव हार्टस सोसाईटी राजनगर एक्शटेन्शन , थाना नन्दग्राम ,गा0बाद मो0 -8860899638

बरामदगी का विवरण-

निला

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त सारिका शर्मा उपरोक्त के विरूद्ध थाना नन्दग्राम पर 02 अभियोग बीएनएस सम्बन्धी पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

एसआईटी प्रभारी/निरीक्षक श्री सतराज सिंह मय एसआईटी पुलिस टीम थाना सिहानी गेट /नन्दग्राम